न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तगण

1. जगदीश मोढ़ पुत्र श्री नारायण मोढ़, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता,

फर्मः– मैसर्स नाकोडा सुपर स्टोर, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही
स्थाई पताः आई.ओ.सी. के सामने, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही

2. दीपेश अग्रवाल पुत्र श्री नाथु लाल अग्रवाल, (खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः– मैसर्स कृष्णा मार्केटिंग, बालाजी ऑफसेट, आजाद मैदान, आबूरोड़,जिला–सिरोही
स्थाई पताः इन्द्र भवन, जैन धर्मशाला, गांधी पार्क रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही

3. श्री कान्तिलाल बाबु भाई धनानी, (खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः– M/s PRASANG FOOD PRODUCTS,
Head office: 607 & 608, 6th Floor Alpha One, Near Pear Hospital,
Opp. Astha Residency Gate, 150 Ft. Ring Road, Rajkot (Gujrat)- 360003
स्थाई पताः 273, राजदीप सोसाइटी–3, मावडी गुरुकुल के सामने मावडी प्लॉट, राजकोट, गुजरात – 360004

F.S.S.Act Case No. 83/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः अधिवक्ता श्री जालम सिंह राजपुरोहित, प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 07 जनवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 17–5–2025 को मैसर्स नाकोडा सुपर स्टोर, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश मोढ पुत्र श्री नारायण मोढ से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) का नमूना संख्या S-2716 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./884/Act/2025/884 दिनांक 27–5–2025 में अमानक (sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 due to presence of foreign fat पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 07–01–2026 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः जगदीश मोढ व दीपेश अग्रवाल तथा प्रतिवादी संख्या 3 (कान्तिलाल बाबुभाई धनानी) के अधिवक्ता श्री जालम सिंह राजपुरोहित उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 (कान्तिलाल बाबुभाई धनानी) के अधिवक्ता ने जबाव प्रस्तुत करना नही चाहते हुए आज ही प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) का निर्माता प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 17–5–2025 को समय 1–30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स नाकोडा सुपर मार्केट, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी जगदीश मोढ पुत्र श्री नारायण मोढ उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स नाकोडा सुपर मार्केट, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स नाकोडा सुपर मार्केट, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ की दुकान के अन्दर एक रैंक में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के 24 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 500–500 एम.एल.) आम जनता को बिक्री हेतु रखे हुये पाये, जिनमें मिलावट का अन्देशा होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश मोढ़ पुत्र श्री नारायण मोढ़ को गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स नाकोडा सुपर मार्केट की दुकान के अन्दर एक रैक में आम जन के विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के 24 पैक पैकेटों (प्रत्येक पैकेट 500–500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के 04 (चार) पैक पैकेटों (प्रत्येक पैकेट 500–500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 840/– (रुपये आठ सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता जगदीश मोढ पुत्र श्री नारायण मोढ को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2716, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता जगदीश मोढ पुत्र श्री नारायण मोढ व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के 500–500 एम.एल. के चारों पैक पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता जगदीश मोढ पुत्र श्री नारायण मोढ तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता जगदीश मोढ पुत्र श्री नारायण मोढ व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 19–05–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर VI का

......पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला अधिकारी, सिरोही (राज०)

अति. जिला अधिकारी
सिरोही–307001

एक सील बन्द लिफाफा, श्री प्रवीण कुमार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 17—5—2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स नाकोडा सुपर मार्केट, अम्बाजी रोड़, आबूरोड, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश मोढ पुत्र श्री नारायण मोढ से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के 4 (चार) पैक पैकेटों (प्रत्येक पैकेट 500—500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के नमूना संख्या S-2716 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./884/Act/2025/884 दिनांक 27—5—2025 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) का नमूना संख्या S-2716, अमानक (Sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 due to presence of foreign fat पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) जगदीश मोढ पुत्र श्री नारायण मोढ की फर्म मैसर्स नाकोडा सुपर मार्केट, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़, जिला— सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के 500—500 एम.एल. के पैक पैकेटों को मैसर्स कृष्णा मार्केटिंग, बालाजी ऑफसेट, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला— सिरोही से जरिये बिल इनवोइस नम्बर KM000649 दिनांक 15—5—2025 से क्रय किये थे, जो प्रतिवादी संख्या 2 (दो) दीपेश अग्रवाल पुत्र नाथू लाल अग्रवाल की फर्म है एवं मैसर्स कृष्णा मार्केटिंग, बालाजी ऑफसेट, आजाद मैदान, आबूरोड़ द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के 500—500 एम.एल. के पैक पैकेटो को M/s PRASANG FOOD PRODUCTS, Head office: 607 & 608, 6th Floor Alpha One, Near Pear Hospital, Opp. Astha Residency Gate, 150 Ft. Ring Road, Rajkot (Gujrat) से जरिये बिल इनवोइस नम्बर GT-82 दिनांक 13—5—2025 से क्रय किया था, जो उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड़ प्रसंग गाय घी) की निर्माता व पैकर फर्म है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी जगदीश मोढ़ की फर्म नाकोडा सुपर मार्केट, अम्बाजी रोड़, आबूरोड़ में प्रतिवादी विक्रेता जगदीश मोढ से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के 500—500 एम. एल. के पैक पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार अमानक (Sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 due to presence of foreign fat खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उक्त निर्माता फर्म M/s PRASANG FOOD PRODUCTS दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म मैसर्स M/s PRASANG FOOD PRODUCTS द्वारा अमानक (Sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 due to presence of foreign fat, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

.......पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी जगदीश मोढ पुत्र श्री नारायण मोढ व दीपेश अग्रवाल पुत्र श्री नाथू लाल अग्रवाल को दोषमुक्त करते हुए अमानक (sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 due to presence of foreign fat, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड प्रसंग गाय घी) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत प्रतिवादी निर्माता फर्म M/s PRASANG FOOD PRODUCTS, Head office: 607 & 608, 6th Floor Alpha One, Near Pear Hospital, Opp. Astha Residency Gate, 150 Ft. Ring Road, Rajkot (Gujrat) पर राशि रुपये 80,000/– (अक्षरे रुपये अस्सी हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी कान्तिलाल बाबु भाई धनानी को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म मैसर्स M/s PRASANG FOOD PRODUCTS पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 07 जनवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज०)